न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम—थापन

राजस्व आवेदन संख्या :—94 / 2025

प्रार्थीः—

भवरकंवर उर्फ छगनकंवर पत्नी राणा उर्फ राणसिंह जाति राजपुत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री हीराचंद सुथार
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—18.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1097 व 801 कुल रकबा 05.1681 हैक्टेयर ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक व ग्राम पंचायत थापन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम छगन कंवर पत्नी राणसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम छगन कंवर पत्नी राणसिंह के स्थान पर भवरकंवर पत्नी राणा लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ. / 2025 / कैम्प थापन दिनांक 18.09.2025 द्वारा प्रार्थी के सही नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक व ग्राम पंचायत थापन द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया।

दौराने बहस प्रार्थिनी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम छगन कंवर पत्नी राणसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थिनी का त्रुटिवश नाम भवरकंवर पत्नी राणा लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:09 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक व ग्राम पंचायत थापन द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम छगन कंवर पत्नी राणसिंह दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम छगन कंवर पत्नी राणसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1097 व 801 कुल रकबा 05.1681 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम 'भवर कंवर पत्नी राणा' के स्थान पर 'छगन कंवर उर्फ भंवर कंवर पत्नी राणसिंह उर्फ राणा' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम थापन में सरे आम सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:09 IST
Reason: SelfAttested